

अवैध रोजगार ? आपके पास अधिकार हैं और दावा कर सकते हैं !

यूरोपीय संघ की सैन्कशन पॉलीसी के तहत कर्मचारी जो बिना रहाइशी परमिट के अपने रोजगार देने वाले नियोक्ता के खिलाफ अपने अधिकार के लिए दावा कर सकते हैं , जो विदेशियों के गैर-कानूनी काम से लाभ उठाते हैं । यह अधिकार **शरण चाहने वाले** महिलाओं और सज्जनो के लिए भी है और अन्य विदेशियों के लिए भी है, जिन के पास एक **डुलडुंग** है , जो बिना किसी काम के परमिट के काम करते हैं ।

→ आप के पास अपने काम का वेतन लेने का अधिकार है ।

→ अगर आप या आप को रोजगार देने वाले नियोक्ता के पास वेतन देने का कोई सबूत नहीं है , तो आप के पास यह **अधिकार** है , कि

- **कम से कम** (वह वेतन जो कानून के अनोसार आम तौर पर इस तरहों का काम करने वालों को मिलता है या जो काम मुआहिदा के तहत मिलना है) या
- जो इस प्रकार के क्षेत्र में साधारण मजदूरी के मिआर के अनोसार दिया जाता है ।

हर सूरत में जरमनों के लिए वेतन का कानून है ।

→ यह माना जाता है , कि काम की प्रकार के अनोसार इस का समय **तीन महीने** तक होता है । जिस के अंदर अंदर आप या आप का रोजगार देने वाला नियोक्ता सबूत पेश कर सकता है ।

→ उस सूरत में यदि आप को अपने देश वापस जाना पडे, तो आप के रोजगार देने वाला नियोक्ता आप के वेतन को आप के देश में **ट्रान्सफर करने के खरचे** का जिम्मेदार होता है ।

→ यह केवल डाइरेक्ट आप के रोजगार देने वाले नियोक्ता की ही जिम्मेदारी नहीं है बलकि यह हर उस फरम की जिम्मेदारी है जो इस की **जनरल कंपनी** के साथ काम करती है ।

आप अपने अधिकार की मांग कर सकते हैं!

आप अपने काम के लिए वेतन की मंग अपने रोजगार देने वाले नियोक्ता से कर सकते हैं , अगर वह यह अदाएगी नहीं करता है , तो आप अपने अधिकार के लिए उस के खिलाफ केस कर सकते हैं और अगर इस केस का फैसला आप के पक्ष में हो जाए ,तो इस का पालन किआ जाए गा । यह केस आप **अपने देश में वापस जा कर** अपने देश से भी कर सकते हैं ।

→ आप इस मकसद के लिए मदद भी ले सकते हैं , ता कि आप को अब तक अदा ना की गई तनख्वाह मिल सके । यह **मदद** आप को **बिना कोई फीस** दिए दूसरे पेज पर दी गई संगठन से मिल सकती है या प्रईवेट वकील, दूसरी सूरत में यह वेतन आप को सरकार की तरफ से भी दिया जा सकता है ।

→ कृपया यह ध्यान में रखें , कि जर्मनी में काम के वेतन की मांग करने के लिए एक समय तीन साल होता है और इस के इलावा और समय भी दिया जा सकता है ।

आप को काम करने का परमट भी मिल सकता है!

→ अगर आप ने किसी **खास स्थिति में विशेष शर्तों** पर काम किया है (एक आरजी कार्यकर्ता के रूप में) या फिर आप की **उम्र कम** है , तो आप अपने लिए काम करने की एक सीमित की गई इजाजत के लिए अवेतन पत्र दे सकते हैं । शर्तें यह हैं, कि

- कार्य सरकारी वकील या अदालत में आप को अपने रोजगार देने वाले नियोक्ता के खिलाफ एक दंड की कार्यवाही में एक साक्षी के तौर पर बयान देना हो गा और
- क्या आप तयार हैं , एक साक्षी के तौर पर बयान देने के लिए

→ इस सूरत में विदेशियों का कार्य आप के अपने देश जाने के समय की सीमा को **बढा सकता** है ताकि आप यह फैसला कर सकें, कि क्या आप इस दंड देने की कार्यवाही में एक साक्षी के तौर पर बयान देना चाहति हैं या नहीं ।

→ आप के निवास के परमिट के समय को बढाया जा सकता है , ता कि आप को **अपनी तनख्वाह मिल सके**, यह खास स्थिति में आप को आप के देश में भी दी जा सकती है ।

रोजगार देने वाले नियोक्ता के लिए और नतीजे , इस से गैर कानूनी काम करने वालों से लाभ उठाने का मौका छीन लिया जाए गा

→ जब आप गैरकानूनी काम करते हैं , रोजगार देने वाला नियोक्ता, जो आप के काम से लाभ उठाता है , उसे कानूनी तौर पर सजा दी जा सकती है ।

→ रोजगार देने वाला नियोक्ता असूली तौर पर अपने कर्मचारीयों के वापसी के सभी खर्चे उठाने का जिम्मेदार होता है ।

→ रोजगार देने वाला नियोक्ता पाबंद है , कि वह आप के लिए टैक्स और सोशल बीमा के पैसे अदा करे, जो वह कानूनी तौर पर एक लीगल काम करने वाले कर्मचारी के लिए अदा करता है ।

→ काम करने वाले कर्मचारीयों के लिए यह आम तौर पर अमूमी फंड, सब्सिडी, यूरोपीय संघ- के फंड्स और इस के इलावा यह फंड सार्वजनिक खरीदारी प्रक्रिया के लिए दिए जाते हैं, उस के लिए एक समय पांच साल होता है । उस की जिम्मेदारी होती है , कि वह उस के हिसाब से इन पैसों की वापस अदाएगी करे गा ।

कर्मचारीयो या काम करने वालों की सेफ्टी के लिए और जानकारी के लिए देखिए वेब साइड :

www.ilo.org

Das Faltblatt ist die Weiterentwicklung eines im ERF-Projekt ASAW erstellten Produkts.

अपने आप को ना जाइज इस्तेमाल ना करने दिजीए!


यहाँ आप को मुफ्त में और जानकारी, सूचना और सलाह प्रामर्श मिल सकता है :



Herausgeber: Caritasverband für die Diözese Osnabrück e.V.
Dr. jur. Barbara Weiser & Stephan Kreftsiek
Knappsbrink 58 - D 49080 Osnabrück
Tel.: +49 (0)541 34978 - 218
Fax: +49 (0)541 34978 - 4218
bweiser@caritas-os.de
Stand Januar 2019



बिना वर्क परमिट के मसरूफ होना या काम करना ?इस के लिए कानून मौजूद है और आप के पास आप के अधिकार भी हैं !



शरण आवेदकों के लिए और विदेशी महिलाएं और सज्जनो जिन के पास एक डुलडंग है, जिन्हें काम के नाम पर ना जाइज इस्तेमाल किया गया है ।